

प्रेषक,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक - 25-09-13

विषय:- दिनांक 9.11.13 के स्थान पर दिनांक 23.11.13 को लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य आयोग के पत्र संख्या 2363/एस.सी.डी.आर.सी/यू.पी./अधि. 90/07 पार्ट-2 दिनांक 23.9.13 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ श्री तेज प्रताप तिवारी, एज.जे.एस., सचिव, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2389/एसएलएसए- 125/2013 (पीएस) दिनांक 9.9.13 को संलग्न करते हुए दिनांक 9.11.13 के स्थान पर दिनांक 23.11.13 को लोक अदालत आयोजित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.9.13 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप अपने जिला फोरम में दिनांक 23.11.13 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में सूचीबद्ध मामलों की सूचना दिनांक 10.11.13 तक अवश्य राज्य आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

MR Siddiqui
24/9/13
(मो. रईस सिद्दीकी)

निबंधक
23.9.13
S.C.